न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 135/2003 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2003/00010

उनवान

1. श्री वेला पिता मोगा मीणा उम्र बालिग
2. श्री शंकर पिता मोगा मीणा उम्र बालिग
3. श्री रूपा पिता मोगा मीणा उम्र बालिग
4. श्री हकरा पिता मोगा मीणा उम्र बालिग
5. श्री तुलसीया पिता मोगा मीणा उम्र बालिग
   निवासीयान धावडी मंगरी थरोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री वगता पिता कालू मीणा फौत के बजाय कायम मुकाम
   6/1 श्री रामु पिता वगता मीणा उम्र बालिग निवासी धावडी मंगरी थरोडा
   6/2 श्री नाथु पिता वगता मीणा उम्र बालिग निवासी धावडी मंगरी थरोडा
   6/3 श्री रूपा पिता वगता मीणा उम्र बालिग निवासी धावडी मंगरी थरोडा
   6/4 श्री लक्ष्मण पिता वगता मीणा उम्र बालिग निवासी धावडी मंगरी थरोडा
   6/5 श्री कन्हैयालाल पिता वगता मीणा फौत के बजाय कायम मुकाम
   6/5/1 श्री राहुल पिता कन्हैयालाल मीणा नाबालिग जरिये संरक्षक माता वली निवासी थडा तहसील सलूम्बर (राज.)
   6/5/2 श्रीमती सीता पत्नी कन्हैयालाल मीणा उम्र बालिग निवासी थडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर
7. श्री जगन्नाथ पिता कालु मीणा उम्र बालिग निवासी धावडी मंगरी थरोडा
8. श्रीमति होमी बेवा मोगा मीणा का न्यायालय आदेश से नाम हटाया गया।

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री हीरा पिता कालु मीणा उम्र बालिग निवासी अमरा डु॰थडा तहसील सलूम्बर
2. श्री भीमा पिता हीरा मीणा फौत के बजाय कायम मुकाम
   2/1 श्रीमती कंकु बेवा भीमा मीणा उम्र बालिग
   2/2 श्री हेमराज पिता भीमा मीणा उम्र बालिग
   2/3 श्री सुन्दर पुत्री भीमा मीणा उम्र बालिग
   2/4 श्री किशन पिता भीमा मीणा उम्र बालिग
   निवासीयान अमरा डुंगरी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री गोता पिता दला मीणा फौत के बजाय कायम मुकाम
   3/1 श्री वाला पिता गोता मीणा उम्र बालिग
   3/2 श्री रामा पिता गोता मीणा उम्र बालिग
   3/3 श्री शंकर पिता गोता मीणा उम्र बालिग
   3/4 श्री थावरा पिता गोता मीणा उम्र बालिग
   निवासीयान थडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये – श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या–135 / 2003

उनवान–श्री वेला बनाम श्री हीरा व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर. टी. एक्ट.

वाद घोषणा कराने खातेदारी हक व पांती बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

दिनांकः 13/04/2026

उपस्थितः– श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता –वादीगण
श्री भुवनेश आगाल– प्रतिवादी संख्या 3 / 1 से 3 / 4
प्रतिवादी संख्या 2 / 1 से 2 / 4 –एक पक्षीय

वादीगण द्वारा यह वाद धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य हैं, जिनके मूल पुरुष लाला मीणा थे। लाला मीणा के पुत्रों एवं उनके वंशजों के बीच पैतृक कृषि भूमि को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में लाला मीणा तथा उनके पुत्र भेरा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। भेरा की लाऔलाद मृत्यु के पश्चात उसके वैध वारिस उसके भाई एवं भतीजे अर्थात् वर्तमान वादीगण एवं प्रतिवादीगण बने।

वादीगण का आरोप है कि मौजा थड़ा, तहसील सलूम्बर स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 240 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 239 रकबा 13 बिस्वा कुल खते 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल आराजी नम्बर 470 / 0.14, 471 / 0.12, 472 / 0.14, 473 / 0.13, 474 / 0.11 कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर के संबंध में सेटलमेंट विभाग ने बिना विधिवत विरासत की जांच किए तथा वादीगण को सूचना दिए बिना दिनांक 22–07–1987 के इन्तकाल क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी नं. 2 भीमा के नाम नामांतरण दर्ज कर दिया, जो पूर्णतः अवैध है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादी नं. 2 भीमा वास्तविक वारिस नहीं है, क्योंकि उसका पिता हीरा जीवित है, अतः उसे स्वतंत्र रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार पुराना मौजा सेरिया (हाल मौजा अमराडूंगरी) की भूमि साबिक आराजी नम्बर 931, 932, 935 / 103 रकबा 5 बीघा भी अविभाजित थी, जिसे प्रतिवादी नं. 1 हीरा ने कथित रूप से सेटलमेंट विभाग से सांठगांठ कर अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो विधि विरुद्ध है, जिसके हाल आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उक्त साबिक नम्बरो से बने हाल आराजीयात की भूमि मौजा थड़ा, तहसील सलूम्बर में स्थित कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं मौजा सेरिया हाल मौजा अमराडूंगरी आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि मे पक्षकारो के हिस्से निम्नानुसार है–

वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 8 का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ

वादी संख्या 6 का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ

वादी संख्या 7 का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ

प्रतिवादी संख्या 1 एक हीरा का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ

प्रतिवादी संख्या 2 भीमा का कोई हिस्सा नही है।

प्रतिवादी संख्या गोता का हिस्सा = 1/2 आधा हिस्सा।

वादीगण का यह भी कहना है कि विवादित समस्त भूमि पर सभी पक्षकारों का संयुक्त एवं शामलाती कब्जा रहा है तथा आज तक विधिवत पाती बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जब वादीगण ने अपने हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा एवं नाम दर्ज कराने की मांग की तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया, जिससे वाद उत्पन्न हुआ। वादीगण के अनुसार भूमि में उनका निर्धारित अंश है, जिसकी विधिवत घोषणा की जानी आवश्यक है, तथा राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज किए जाने चाहिए। साथ ही, प्रतिवादी नं. 2 का नाम हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसका कोई वैध हिस्सा नहीं है।

अतः वादीगण ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि विवादित भूमि में उनके हिस्से की घोषणा की जाए, राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कर उनके नाम दर्ज किए जाएँ, भूमि का सीमांकन कर विधिवत पाती बंटवाड़ा कराया जाए, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से रोका जाए कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। साथ ही वाद व्यय एवं अन्य उपयुक्त राहत भी प्रदान की जाए।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण का मुख्य कथन संक्षेप में निम्न है कि प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यहीन एवं निराधार है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वंशावली आंशिक रूप से स्वीकार है, किन्तु यह स्वीकार नहीं है कि भैरा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस उसके छोटे भाई या उनके पुत्र बने। प्रतिवादीगण का स्पष्ट कथन है कि भैरा की कोई संतान नहीं थी तथा उसकी सेवा–चाकरी प्रतिवादी नं. 2 भीमा द्वारा की जाती थी। भैरा ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 14.04.1987 को एक विधिवत स्टाम्प पर 7–8 गवाहों की उपस्थिति में अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत प्रतिवादी नं. 2

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भीमा के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। अतः भैरा की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का एकमात्र वैध वारिस प्रतिवादी नं. 2 भीमा ही है।

प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि उक्त वसीयत के आधार पर ही राजस्व अभिलेखों में इन्तकाल दर्ज किया गया, जो पूर्णतः वैध एवं विधिसम्मत है। भैरा के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नं. 2 भीमा का कब्जा काश्त निरंतर, शांतिपूर्ण एवं बेरोकटोक चला आ रहा है। वादीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का भैरा की संपत्ति में कोई अधिकार, हिस्सा या हित नहीं है।

वाद पत्र के पैरा संख्या 2 एवं 3 में लगाए गए आरोप पूर्णतः अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि भैरा की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर विधिवत इन्तकाल दर्ज हुआ था, जो सही एवं कानूनसम्मत है। भीमा ही भैरा के हिस्से का वैध वारिस है। अतः वादीगण द्वारा इन्तकाल को अवैध बताना असत्य एवं भ्रामक है।

वाद पत्र के पैरा संख्या 4, 5, 6 एवं 7 में वर्णित हिस्सेदारी संबंधी कथन भी अस्वीकार किए जाते हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि भैरा के हिस्से की भूमि पर वादीगण, प्रतिवादी नं. 1 अथवा प्रतिवादी नं. 3 का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे बंटवाड़ा कराने के अधिकारी हैं। भैरा की भूमि का एकमात्र खातेदार, काश्तकार एवं कब्जेदार प्रतिवादी नं. 2 भीमा है।

वाद पत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित बंटवाड़ा संबंधी मांग निराधार है, क्योंकि जिस भूमि पर प्रतिवादी नं. 2 का एकल अधिकार एवं कब्जा है, उसका बंटवाड़ा कराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

वाद पत्र के पैरा संख्या 9 से 13 तक के समस्त कथन तथा प्रार्थना पत्र के उपखंड (क), (ख), (ग), (घ) भी अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण का यह भी निवेदन है कि वादीगण का वाद मियाद (Limitation) से बाहर है, क्योंकि इन्तकाल वर्ष 1987 में दर्ज हुआ था और उसकी जानकारी वादीगण को उसी समय थी। अतः विलंब से प्रस्तुत यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण प्रार्थना करते हैं कि वादीगण का वाद निराधार एवं असत्य पाते हुए खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को वाद व्यय दिलाया जावे।

वादी, प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के संबंध में निम्नानुसार जवाब–बुल–जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण की ओर से निवेदन है कि प्रतिवादी नं. 1 से 3 द्वारा दिनांक 17–11–2004 को प्रस्तुत जवाब–दावा पूर्णतः असत्य, निराधार एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, अतः उसे संपूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन कि स्वर्गीय खातेदार लाला मीणा की सेवा–चाकरी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादी नं. 2 भीमा द्वारा की जाती थी, पूर्णतः असत्य है और वादीगण इसे स्पष्ट रूप से नकारते हैं। वादीगण का कहना है कि स्वर्गीय लाला मीणा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14–04–1987 को अथवा किसी भी अन्य दिनांक को प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में कोई वसीयत पत्र निष्पादित नहीं किया। यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई तथाकथित वसीयत पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह जाली, फर्जी एवं कपटपूर्ण दस्तावेज है, जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है।

वादीगण का यह भी स्पष्ट कथन है कि स्वर्गीय लाला मीणा के खाते की विवादित कृषि भूमि पर उनके वैध वारिसों का संयुक्त एवं निरंतर कब्जा रहा है। भतीजे वगता, जगनाथ एवं हीरा तथा मृत भतीजा मोगा के वारिस, वादी नं. 1 से 8 तक, उक्त भूमि पर निरंतर, शांतिपूर्ण एवं बेरोकटोक काबिज एवं काश्तकार चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं. 2 का भूमि पर एकाधिकार अथवा एकमात्र वारिस होने का दावा पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है।

इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब–दावा तथ्य एवं विधि दोनों ही दृष्टि से असंगत है और स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः वादीगण प्रार्थना करते हैं कि उनका यह जबावबुल–जवाब अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जावे।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण मे वाद निस्तारण हेतु निम्न विवाधक बनाये गये–

1. आया मौजा थडा की आराजी नम्बर 470/0.14, 471/0.12, 472/0.14, 473/0.13, 474/0.11 कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर मे वादीगण अपने हिस्से अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है?
–बजिम्मे वादीगण
2. आया खाता संख्या 33 कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर मे प्रतिवादी नम्बर 2 श्री भीमा पिता हीरा का नाम हटाने के अधिकारी है?
–बजिम्मे वादीगण
3. आया वाद वर्णित भूमि के हिस्से अनुसार माप व सीमाओ द्वारा विधिवत पांती बंटवाडा कराकर खाते अलग कराने के अधिकारी है?
–बजिम्मे वादीगण
4. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? आया स्व. भेरा पिता लाला ने जरिये वसीयत विपक्षी संख्या 2 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति दी है जिसके मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है?
–बजिम्मे प्रतिवादी
5. आया वादीगण का वाद मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही है?
–बजिम्मे प्रतिवादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

6. आया वाद वर्णित भूमि में स्व. भेरा पिता लाला के भाईयो व भतीजो का कोई हक हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति मे वादीगण यह दावा लाने के अधिकारी नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादी

7. दादरसी

वादी स्वयं अपने वाद को साबित करने के लिये बतौर गवाह PW 1 पेश हुआ तथा अन्य गवाह PW 2 धुलजसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपुत निवासी थडा तहसील सलूम्बर, PW 3 अमरा पिता नाथुजी मीणा निवासी थडा तहसील सलूम्बर, PW 4 श्री हरिसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपुत निवासी थडा तहसील सलूम्बर के शपथ पत्र पेश किये एवं बयान दर्ज कराये। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2057 से 2060, प्रदर्श 3 मिलान खतौनी, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038, प्रदर्श 5 इन्तकाल नम्बर 27, प्रदर्श 6 जमाबंदी नकल, प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत् 2056 से 2059, प्रदर्श 8 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 9 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 10 मिलान खतौनी पेश किये।

प्रतिवादीगण ने कोई गवाह पेश नही कीये एवं न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित कराये, वसीयत की फोटो प्रती पेश की।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी ने अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 ने राजस्व रेकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली मे तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है –

तनकी नम्बर 1– आया मौजा थडा की आराजी नम्बर 470/0.14, 471/0.12, 472/0.14, 473/0.13, 474/0.11 कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर मे वादीगण अपने हिस्से अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने कथन किया कि मौजा थडा की आराजी नम्बर 470, 471, 472, 473, 474 और 2165 में उनका वैध हिस्सा है। कब्जा और पैतृक संबंध उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का अधिकार देते हैं। वादीगण ने अपने समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 4 एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 10 पेश किये।

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे मे वादी का दावा अस्वीकार करने का कथन किया एवं वसीयत के अनुसार, भूमि का अधिकार प्रतिवादी नं. 2 का होने का कथन किया। प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही किये एवं वसीयत की फोटो प्रति पेश की। वसीयत केवल फोटो–कॉपी है, रजिस्टर्ड नहीं। प्रतिवादी सख्या 2 ने कोई गवाह या वैधानिक प्रमाण पेश नहीं किये है जिससे प्रतिवादीगण के कथनो को बल मिले। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा और भूमि पर वास्तविक उपयोग एवं भूमि अविभाजित पैतृक होना अपने गवाहो के बयानात एवं साक्ष्यो से साबित करने मे सफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

तनकी नम्बर 2– आया खाता संख्या 33 कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर मे प्रतिवादी नम्बर 2 श्री भीमा पिता हीरा का नाम हटाने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी का कथन है कि खाता संख्या 33 में प्रतिवादी नं. 2 भीमा का नाम अवैध रूप से दर्ज है तथा कब्जा और वास्तविक उपयोग वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी का कथन है कि वसीयत के अनुसार अधिकार उनका है। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत फोटो–कॉपी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं। वादीगण अपने गवाहो से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित करने मे सफल रहे है। अतः प्रतिवादी नं. 2 का नाम खाता संख्या 33 से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

तनकी नम्बर 3– आया वाद वर्णित भूमि के हिस्से अनुसार माप व सीमाओ द्वारा विधिवत पांती बंटवाडा कराकर खाते अलग कराने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के साबित करने मे सफल रहे है।भूमि अविभाजित पैतृक संपत्ति है तथा कब्जा और वास्तविक उपयोग वादीगण के पक्ष में है। अतः वादीगण वाद वर्णित भूमि के हिस्से अनुसार माप व सीमाओ द्वारा बंटवाडा कराये जाने के अधिकारी पाये जाते है।

तनकी नम्बर 4– आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि विवादित भूमि में वादीगण का हिस्सा है, प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करते है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से रोका जाए कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। तनकी नम्बर 1 से 3 वादीगण साबित करने मे सफल रहे है। वादीगण वादग्रस्त भूमि मे अपना वैध हिस्सा साबित करने मे सफल रहे है। चूंकि वाद वर्णित भूमि वर्तमान मे शामलाती होकर अविभाजित होना प्रकट आया है, अतः शामलाती भूमि पर किसी एक पक्ष के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। प्रतिवादी संख्या मृतक 2 के विधिक वारिशान वादग्रस्त भूमि मे अपना हक, हिस्सा साबित नही कर पाये है। अतः यह तनकी आंशीक रूप से वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5– आया स्व. भेरा पिता लाला ने जरिये वसीयत विपक्षी संख्या 2 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति दी है जिसके मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे दावा किया कि स्वर्गीय भेरा ने संपत्ति प्रतिवादी नं. 2 को वसीयत में दी। वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने केवल फोटो–कॉपी पेश की, कोई गवाह अपने समर्थन मे पेश नही किया है। रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है। फोटो–कॉपी और गवाहहीन वसीयत वैध नहीं मानी जा सकती। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 6– आया वादीगण का वाद मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे कथन किया कि वादी का दावा करने कि मियाद समाप्त हो चुकी। वादी का कथन रहा है कि जानकारी होते ही वाद पेश किया है एवं अपने हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर काश्त

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

करते चले आ रहे है। वादीगण का वाद घोषणा खातेदारी हक, पांती बंटवाडा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का है जो विचारणीय है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 7– आया वाद वर्णित भूमि में स्व. भेरा पिता लाला के भाईयो व भतीजो का कोई हक हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति मे वादीगण यह दावा लाने के अधिकारी नही है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य अथवा गवाह पेश नही किये। वादीगण अपने पक्ष की तनकीयात साबित करने मे सफल रहे है। पैतृक भूमि पर कब्जा और वास्तविक उपयोग इन सभी वारिसों के पक्ष में है। अतः वादीगण दावा लाने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर 8–दादरसी

पत्रावली मे उभयपक्षकारान बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो एवं गवाहों के बयानो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अपना वाद साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है एवं प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह एवं दस्तावेज पेश नही किये है। फोटो–कॉपी और गवाहहीन वसीयत वैध नहीं मानी जा सकती।

उक्त वाद वर्णित साबिक नम्बरो से बने हाल आराजीयात की भूमि मौजा थड़ा, कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं मौजा सेरिया हाल मौजा अमराडूंगरी आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि मे पक्षकारो के हिस्से–

वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 8 का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
वादी संख्या 6 का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
वादी संख्या 7 का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
प्रतिवादी संख्या 1 एक हीरा का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
प्रतिवादी संख्या 2 भीमा का कोई हिस्सा नही है।
प्रतिवादी संख्या गोता का हिस्सा = 1/2 आधा हिस्सा।

उपरोक्त हिस्सो के अनुसार भूमि पर घोषणा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण उपरोक्त भूमि का वर्तमान मे पांती बंटवाडा कराना नही चाहते है इसलिये पांती बंटवाडा की दाद निरस्त की जाती है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वादगण स्वीकार किया जाकर उक्त वाद पत्र की क्रम संख्या 3 एव 6 मे वर्णित साबिक नम्बरो से बने हाल आराजीयात की भूमि मौजा थड़ा, कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं मौजा सेरिया हाल मौजा अमराडूंगरी आराजी नम्बर 2165 रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि मे पक्षकारो के निम्न हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषणा किये जाते है–

1. वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 8 का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
2. मृतक वादी संख्या 6 का हिस्सा संयुक्त उसके विधिक वारिसान 6/1 से 6/4 व 6/5/1, 6/5/2 का हिस्सा= 1/8 एक बटा आठ
3. वादी संख्या 7 का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

4. मृतक प्रतिवादी संख्या 1 एक हीरा के विधिक वारिसान का हिस्सा = 1/8 एक बटा आठ
5. प्रतिवादी संख्या 2 भीमा का कोई हिस्सा नही है।
6. मृतक प्रतिवादी संख्या 3 गोता का हिस्सा उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 तक संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/2 आधा हिस्सा।
7. खाता संख्या 33 की भूमि कुल किता 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जावे।

वादीगण इस वाद में पांती बंटवाडा अभी नहीं कराना चाहता इसलिये पांती बंटवाडा की दाद निरस्त की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावे। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 13/04/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर